



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 653 राँची, बुधवार,

9 अक्टूबर, 2024 (ई०)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई०-गवर्नेंस विभाग

संकल्प

1 अक्टूबर, 2024

विषय: Unified Digital Data Platform (UDDP) में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।

संख्या- 1485—सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई०-गवर्नेंस विभाग द्वारा राज्य सरकार के लिए एकीकृत डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसे Unified Digital Data Platform (UDDP) का नाम दिया गया है। Unified Digital Data Platform झारखण्ड सरकार के लिए एक सामाजिक रजिस्ट्री-आधारित प्लेटफॉर्म है। सामाजिक रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए डेटा एकीकरण आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस दृष्टिकोण के तहत, विभिन्न योजनाओं के डेटाबेस में उपलब्ध लाभार्थियों के डेटा को एकीकृत किया जाता है। वर्तमान में आधार आधारित डिडुप्लीकेशन के द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के डेटा को एकीकृत किया जा रहा है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग UDDP प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए बेस डेटाबेस के रूप में किया गया है। किसी लाभार्थी की विशिष्ट पहचान करने के बाद, लाभार्थी के परिवार के पहचान UDDP डेटाबेस में की जाती है। परिवारों के साथ-साथ unique निवासी की पहचान के बाद, UDDP प्लेटफॉर्म द्वारा एक परिवार आईडी के साथ-साथ एक निवासी आईडी भी प्रदान की जाती है। किसी लाभार्थी के unique रिकॉर्ड को गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। UDDP प्लेटफॉर्म, रेसिडेंट पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सेवाएँ भी प्रदान करता है। एक लाभार्थी, आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए लॉगिन कर प्राप्त सभी योजनाओं और पात्र योजनाओं की सूची देख सकता है। रेसिडेंट पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी नई योजनाओं के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। झारखण्ड का कोई निवासी जिसे UDDP Database में शामिल नहीं किया गया है, वे ओटीपी आधारित आधार ई-केवाईसी का उपयोग करके स्वयं इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही, परिवार के छूटे हुए सदस्यों को ओटीपी आधारित आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सिस्टम में पंजीकृत भी कर सकते हैं।

लाभार्थियों के गोल्डन रिकॉर्ड होने से निम्नलिखित लाभ होंगे:-

- i. मौजूदा और नई योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए UDDP Id तथा Family Id का उपयोग:-
 - a) सभी नई और मौजूदा योजनाओं के आवेदन फॉर्म को आवेदन की UDDP Id तथा Family Id स्वीकार करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।
 - b) लाभार्थी, रेसिडेंट पोर्टल पर लॉगइन करने के पश्चात अपनी व्यक्तिगत Id/Family Id जान सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।
 - c) लाभार्थियों को किसी योजना के लिए आवेदन करते समय आवश्यक जानकारी के साथ अपनी UDDP Id/Family Id प्रदान करने का विकल्प होगा।
 - d) किसी योजना के लिए आवेदन करते समय UDDP Id/Family Id प्रदान करने से पहचान संबंधी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- ii. उन योजनाओं की सूची के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनका वे लाभ उठा रहे हैं। साथ ही, उन योजनाओं की भी जानकारी ले सकते हैं जिनके वे पात्र हैं परन्तु वे उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
- iii. सरकार द्वारा UDDP से जुड़े online सेवा वितरण प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों को उनके जीवन चक्र के आधार पर सक्रिय रूप से लाभ पहुँचाया जाएगा।
- iv. UDDP Id/Family Id के माध्यम से एक व्यक्ति एवं एक परिवार को दी जा रही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

3. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार को आधार प्रमाणीकरण शुल्क में इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि राज्य सरकार संबंधित योजना को आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करें।

4. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) निम्नवत है :-

“Seeking authentication for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State may prescribe.”

5. सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली 2020 के नियम-4 निम्नवत है :-

प्रस्ताव तैयार करना:- नियम-3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग जैसा भी मामला हो ऐसे प्रस्ताव के बारे में औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार करेगा जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की माँग की गई है और इसे प्राधिकरण के संदर्भ के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

6. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-7673 दिनांक 30.03.2022 की कंडिका-2 में यथा उल्लेखित है कि- Authentication transaction done by or on behalf of Central/State Government for respective purposes approved by MeitY for Good Governance (Social Welfare, innovation, Knowledge) Rules, 2020 read under section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar Act-2016 is also be exempted subject to its notification by the respective Government.

7. UDDP परियोजनांतर्गत लाभार्थियों का e-KYC एवं OTP प्रमाणीकरण किया जाना है। झारखण्ड की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3,90,00,000 (तीन करोड़ नब्बे लाख) है, जिनका आधार प्रमाणीकरण किया जाना है। अतः कुल अनुमानित जनसंख्या के e-KYC एवं OTP प्रमाणीकरण पर वार्षिक अनुमानित व्यय ₹ 18,48,21,000/- (अठारह करोड़ अड़तालीस लाख इक्कीस हजार ₹) होने की संभावना है। उक्त राशि में से ₹ 13,65,00,000/- (तेरह करोड़ पैंसठ लाख रुपये) का भुगतान UIDAI को e-KYC एवं OTP प्रमाणीकरण के लिए करना होगा। UDDP परियोजना को झारखण्ड राजपत्र में आधार अधिनियम, (यथा संशोधित) की धारा 4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के तहत अधिसूचित करने के उपरांत UIDAI द्वारा आधार प्रमाणीकरण हेतु सालाना ली जाने वाली कुल अनुमानित राशि ₹ 13,65,00,000/- (तेरह करोड़ पैंसठ लाख ₹) Exempt हो जाएगी।

अतः वर्तमान में कुल 3,90,00,000 (तीन करोड़ नब्बे लाख) लाभार्थियों के e-KYC एवं आधार OTP पर ASA शुल्क के रूप में एक वर्ष के लिए कुल अनुमानित वित्तीय भार ₹ 4,83,21,000/- (चार करोड़ तिरासी लाख इक्कीस हजार ₹) है ।

8. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आधार प्रमाणीकरण शुल्क में छूट के निमित्त Unified Digital Data Platform (UDDP) में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 27.09.2024 की बैठक के मद सं०-15 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सरकार के सचिव ।
